[2013] 16 एस.सी.आर. 589

बख्शीश सिंह

बनाम

पंजाब राज्य व अन्य

(2009 की आपराधिक अपील संख्या 1110)

06 अगस्त, 2013

[डॉ. बी.एस. चौहान एवं एस.ए. बोबड़े, जे.जे.]

दंड संहिता, 1860- धारा 302 एवं धारा 02 सपठित 120बी- अपने घर से सटे पार्क में टहल रहे व्यक्ति पर तीन आरोपी द्वारा पर जानलेवा हमला करने से मौत हुई। 'बी', उसका भतीजा 'एस' और भतीजे का दोस्त 'आर'-अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तीनों अभियुक्तों को दोषसिद्धि किया गया। तथ्यों पर, उचित-'एस' और 'आर' ने मृतक के साथ चाकू से मारपीट की थी, जिससे उसकी मौत हुई। 'जी' को खत्म करने से 'एस' और 'आर' को कुछ हासिल नहीं होने वाला था, उनसे उनका कोई टकराव नहीं था। साक्ष्य ऐसा नहीं दर्शाते कि 'एस' और 'आर' का कोई निजी उददेश्य या उक्त व्यक्ति को मारने के पीछे इसका कारण यह है कि 'बी' हत्या का मास्टरमाइंड था। 'बी' 'जी' का विरोध करता था और अध्यक्ष का पद पाना चाहता था जिस शैक्षिक ट्रस्ट का मृतक अध्यक्ष था। मृतक और उसकी पत्नी (पीडब्लू1) के

बीच संबंध एक ओर और दूसरी ओर 'बी' और उसकी पत्नी पूरी तरह से शत्रुतापूर्ण था 'बी' और उसकी पत्नी ने मृतक को हत्या की धमकी और उसकी बेटी के साथ बलात्कार करने की धमकी दी थी। ट्रस्ट या किसी में चेयरमैनशिप पाने के लिए मृतक को हटाने का मामला प्रतिद्वंद्वी को ख़त्म करने के लिए काफी मजबूत मकसद था, खासकर जब देखा जाए आस-पास की परिस्थितियाँ। 'बी' का मकसद व परिस्थितिजन्य साक्ष्य तीनों आरोपियों को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त पीडब्लू1 की साक्ष्य और अभियोजन पक्ष के अन्य गवाहों की गवाही भरोसेमंद और विश्वसनीय थी।

साक्ष्य- हत्या मामले में आरोपी की पहचान-चाकू से हमला करने के कारण मौत-पीडब्लू 1 मृतक की पत्नी एक चश्मदीद गवाह थी-हमलावर के बारे में उसका विवरण यह था कि उसकी कटी हुई दाढ़ी थी, लेकिन अदालत में जब पीडब्लू1 द्वारा उसकी पहचान की गई, तो उसकी कटी हुई दाढ़ी नहीं थी, बल्कि पूरी बढ़ी हुई दाढ़ी थी-बचाव पक्ष की दलील थी कि पीडब्लू1 हमलावर की पहचान के संबंध में भ्रमित थी। माना गया-जब कोई व्यक्ति अपराध करने वाला होता है तो वह अपनी दाढ़ी काटकर अपना रूप बदल लेता है और यह बिल्कुल स्वाभाविक है। इसके अलावा, उस पत्नी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है जिसके पति पर हमला किया गया हो हमलावर के चेहरे को ध्यान से देखा और उसके बाद उसी व्यक्ति की पहचान की, भले ही उसकी दाढ़ी वापस बढ़ी हो और तस्वीर से भी उस व्यक्ति की पहचान की-इसके अलावा, आरोपी-हमलावर शैक्षिक ट्रस्ट द्वारा

संचालित संस्थान में कार्यरत था, जिसका संस्थापक अध्यक्ष मृतक था और पीडब्लू1 उससे कई मौकों पर मिलता था।

साक्ष्य-गवाह-की सराहना-हत्या का मामला-सुराग के लिए सार्वजनिक अपील पढ़ने के बाद, गवाह ने पुलिस को सूचित किया था, इस गवाह की पहचान और घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति पर कोई संदेह नहीं है-माना गयाः- केवल इसलिए क्योंकि गवाह ने तुरंत पुलिस से संपर्क नहीं किया था घटना की तारीख पर, लेकिन सार्वजनिक सूचना पढ़ने के बाद उन्होंने पुलिस से संपर्क किया, उसकी गवाही को खारिज नहीं किया जा सकता।

साक्ष्य-गवाह-की सराहना-हत्या का मामला-पीडब्लू1 के पति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई- बचाव पक्ष की दलील है कि अभियोजन की कहानी झूठी थी क्योंकि पीडब्लू2 ने कथित तौर पर "मर दित्ता मार दित्ता" की आवाज सुना था, जबकि पीडब्लू1, जिसने इस घटना को देखा था, ने कहा कि उसने बचाओ-बचाओ चिल्लाया था। क्या यह विसंगति पीडब्लू1 या पीडब्लू2 के बयानों की सत्यता को खारिज करने के लिए पर्याप्त है, माना गया नहीं, क्योंकि इस प्रकृति की स्थिति में गवाहों से उनके द्वारा बोले गए सटीक शब्दों को याद रखने की उम्मीद नहीं की जाती है-अक्सर यह सामने आया है जिन गवाहों ने क्रूर हत्या देखी है वे अस्पष्ट हैं-केवल इसी आधार पर गवाही को खारिज नहीं किया जा सकता है।

साक्ष्य-उद्देश्य-प्रमाण-माना गयाः- जब उच्च स्तर की शत्रुता स्थापित हो जाती है, तो उद्देश्य के अस्तित्व को स्थापित माना जा सकता है।

साक्ष्य में विसंगतियाँ-सराहना-माना गयाः- मामूली असंगत संस्करण/विसंगतियाँ जरूरी नहीं कि पूरी 'अभियोजन कहानी' को ध्वस्त कर दें, अगर इसे अन्यथा विश्वसनीय पाया जाता है।

अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि 'बी' ने अपने भतीजे 'एस' और भतीजे के दोस्त 'आर' के साथ मिलकर पीडब्ल्यू 1 के पति 'जी' की हत्या की साजिश रची, जब वह सुबह की सैर के लिए अपने घर से सटे पार्क में गया था। यह आरोप लगाया गया कि जब मृतक पार्क के मुख्य द्वार के पास पहुंचा, तो 'एस' और 'आर' ने उस पर खंजर से बेरहमी से वार किया और स्कूटर से घटनास्थल से भाग गए।

'बी' कथित तौर पर अपराध का मास्टरमाइंड था: पीडब्लू 1, एक चश्मदीद गवाह, ने कहा कि मकसद 'बी' द्वारा अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक शैक्षिक ट्रस्ट का अध्यक्ष पद पाने के लिए की गई साजिश का नतीजा हो सकता है, जिसका मृतक 'जी' अध्यक्ष था। पार्क की हेज से एक खून से सना हुआ खंजर बरामद किया गया और हेज के बगल में एक कंटीला तार लगा हुआ था और खून से सना हुआ कपड़े का एक टुकड़ा उसमें फंसा हुआ पाया गया। पीडब्लू8, जिसने पोस्टमार्टम किया, ने बताया कि मृतक पर चोटें किसी तेज धार वाले हथियार से लगी थी।

ट्रायल कोर्ट ने 'बी' को आईपीसी की धारा 302 सपठित धारा 120 बी के तहत दोषी ठहराया, जबकि 'एस' और 'आर' को आईपीसी की धारा 302 और धारा 302 के साथ धारा 120-बी के तहत दोषी ठहराया गया। तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि की पुष्टि की गई, और इसलिए, 'बी', 'एस' और 'आर' द्वारा अपील प्रस्तुत की गई।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए

माना गया :

1. पीडब्लू1 ने घटना का पर्याप्त स्पष्टता के साथ वर्णन किया। जहां तक उसकी 'एस' की पहचान का संबंध है, यह तर्क दिया गया कि वह भ्रमित थी। अपीलकर्ताओं के अनुसार, 'एस' के बारे में उसका विवरण यह था कि उसकी कटी हुई दाढ़ी थी, लेकिन अदालत में जब पीडब्लू-1 द्वारा उसकी पहचान की गई; उनकी कटी हुई दाढ़ी नहीं थी बल्कि पूरी बढ़ी हुई दाढ़ी थी। इस तर्क को खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि किसी व्यक्ति के लिए यह काफी स्वाभाविक प्रतीत होगा जब वह अपराध करने जा रहा हो और अपनी दाढ़ी काटकर अपना रूप बदल ले। इसके अलावा, ऐसी पत्नी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है जिसके पति पर हमला हुआ हो, उसने हमलावर के चेहरे को ध्यान से देखा हो और उसके बाद उसी व्यक्ति की पहचान कर ली हो, भले ही उसकी दाढ़ी वापस बढ़ गई हो और तस्वीर से

भी उस व्यक्ति की पहचान कर सके। ऐसा कहा जाता है कि 'एस' "खांडी फ्रेंड्स एजुकेशनल ट्रस्ट" द्वारा संचालित "इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, भद्दल" में कार्यरत था, जिसके संस्थापक अध्यक्ष मृतक थे और गवाह कई मौकों पर उनसे मिलते थे। अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। उसकी पहचान 'आर' से है, जिसे उसने तब करीब से देखा था, जब उसने उसके पति पर हमला किया था। [पैरा 20] [603-सी, ई-एच; 604-ए-बी]

2.1. सुराग के लिए सार्वजनिक अपील पढ़ने के बाद पीडब्लू 19 ने पुलिस को सूचित किया था। इस गवाह की पहचान और घटनास्थल पर उसकी मौजूदगी पर कोई संदेह नहीं है, केवल इसलिए कि गवाह ने घटना की तारीख पर तुरंत पुलिस से संपर्क नहीं किया, बल्कि सार्वजनिक सूचना पढ़ने के बाद पुलिस से संपर्क किया; उसकी गवाही को खारिज नहीं किया जा सकता। हालाँकि यह सुझाव दिया गया था कि यह गवाह 'जी' (मृतक) और पीडब्लू 1 से जुड़ा था, इस बयान को प्रदर्शित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है। इस गवाह के लिए कोई मकसद नहीं बताया जा सकता कि उसने 'जी' (मृतक) या उसकी पत्नी या अभियोजन पक्ष के साथ किसी भी संबंध के कारण पुलिस से संपर्क किया और अपना बयान दिया। [पैरा 21,22] [604-सी; 605-सी; 606-सी-ई]

2.2. तर्क दिया गया कि पीडब्लू 19 सच नहीं बोल रहा था, क्योंकि दोनों हमलावर कंटीले तारों की बाड़ के माध्यम से भाग नहीं सकते थे। इस विवाद में कोई दम नहीं है, पीडब्लू 19/ए-ड्राफ्ट्समैन के स्पष्ट दावे के मद्देनजर, जिसने एक साइट योजना तैयार की है, जिसे रिकॉर्ड में लाया गया है, कि कांटेदार तार की ऊंचाई केवल तीन फीट थी। तार के ऊपर संभवतः बिना किसी कंटीले तार के केवल बाड़ थी। इसके अलावा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आरोपी बाड़े के माध्यम से भाग गए हैं क्योंकि बाड़े से खून से सने पत्ते और कपड़े का एक फटा हुआ टुकड़ा मिला है, संभवतः शर्ट की जेब का फटा हुआ कपड़ा कांटेदार तार में उलझा हुआ पाया गया है। [पैरा 23] [606-एच; 607- ए-सी]

2.3. 'जी' पर तब हमला किया गया जब वह एक पार्क में टहल रहा था और पीडब्लू 19 ने दो हमलावरों को स्कूटर पर पार्क से भागते देखा। ये दोनों 'एस' और 'आर' थे, जैसा कि पीडब्लू1 द्वारा पहचाना गया था। दोनों आरोपियों की निशानदेही पर बरामद किए गए चाकू और स्कूटर का इस्तेमाल अपराध में किया गया था। खंजर इंसानों के खून से सना हुआ था। [पैरा 26] [608-ए-बी]

2.4. मामूली असंगत संस्करण/विसंगतियां जरूरी नहीं कि पूरी अभियोजन कहानी को ध्वस्त कर दें, अगर यह अन्यथा विश्वसनीय पाई जाती है। पीडब्लू 19 के बयानों में अलंकरण ऐसे विरोधाभासों का गठन

नहीं करते हैं जो अभियोजन मामले के मूल को नष्ट कर दें। कथित चूकों और अलंकरणों के बावजूद पीडब्लू 19 का साक्ष्य विश्वसनीयता के दायरे में बना हुआ है। [पैरा 27, 29 और 30] [608-एच; 609-ए, एच; 610-ए, एफ]

संपत कुमार बनाम पुलिस निरीक्षक (2012) 4 एससीसी 124: 2012 (2) एससीआर 289; नारायण चेतनराम चौधरी बनाम महाराष्ट्र राज्य (2000) 8 एससीसी 457: 2000 (3) पूरक। एससीआर 104 सुनील कुमार संभुदयाल गुप्ता (डॉ.) बनाम महाराष्ट्र राज्य (2010) 13 एससीसी 657: 2010 (15) एससीआर 452; राज कुमार सिंह उर्फ राजू उर्फ बट्या बनाम राजस्थान राज्य (2013) 5 एससीसी 722-पर भरोसा किया।

3. एकमात्र अन्य गवाह, जो अपराध स्थल के करीब आया था, पीडब्लू 2 है, जिसने कहा कि जब वह उस दिन पर पास के पार्क में टहलने गया, तो उसने एक अलार्म सुना कि "मार दित्ता मार दित्ता"। हालांकि यह तर्क दिया गया कि अभियोजन की कहानी झूठी है क्योंकि पीडब्लू 2 ने "मार दित्ता मार दित्ता" शब्द सुने थे, जबकि पीडब्लू 1 ने कहा कि उसने "बचाओ-बचाओ" का बिगुल बजाया था, लेकिन यह विसंगति इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि पीडब्लू 1 या पीडब्लू 2 के बयान की सत्यता को खारिज किया जा सके। क्योंकि इस तरह की आपात स्थिति में गवाहों से उनके द्वारा बोले गए सटीक शब्दों को याद रखने की उम्मीद नहीं की

जाती है। अक्सर किसी नृशंस हत्या को देखने वाले गवाहों से जो बात सामने आती है वह अस्पष्ट होती है। केवल इसी आधार पर गवाही को खारिज नहीं किया जा सकता। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने सही निष्कर्ष दर्ज किया है कि 'एस' और 'आर' ने 'जी' पर चाकू से हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। [पैरा 31] [610-जी; 611-ए-डी]

4. हालाँकि, यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि 'एस' या 'आर' की व्यक्तिगत दुश्मनी या मृतक के साथ ऐसे शत्रुतापूर्ण संबंध थे कि वे उसे मारना चाहते थे। हत्या में लूटपाट का कोई मामला शामिल नहीं है. ऐसा प्रतीत होता है कि इन दोनों आरोपियों और मृतक जो "खांडी फ्रेंड्स एजुकेशनल ट्रस्ट" के अध्यक्ष थे, के बीच कोई संघर्ष नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है कि 'एस' को उक्त ट्रस्ट में निर्माण पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं लाया गया है कि उसका 'जी' के साथ कोई टकराव हो।' ऐसा प्रतीत होता है कि 'आर' का 'जी' से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। पूरे साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि इन दोनों को 'जी' को खत्म करने से कुछ हासिल नहीं हुआ। उनका उससे कोई झगड़ा नहीं था और उन्होंने उसे किसी भी संपत्ति से छुटकारा दिलाने का कोई प्रयास नहीं किया। यदि 'जी' के खिलाफ शत्रुता की भावना में कोई व्यक्तिगत मकसद नहीं था तो एकमात्र मकसद किसी अन्य द्वारा उकसाना हो सकता था, जिसका ऐसा मकसद था। [पैरा 32] [611-ई-एच]

5. 'बी', 'जी' का विरोध करता था। उक्त ट्रस्ट की अध्यक्षता पाने के लिए या किसी भी मामले में 'जी' को हटाने के लिए प्रतिद्वंद्वी को खत्म करने का एक पर्याप्त मजबूत मकसद था, खासकर जब आसपास की परिस्थितियों में देखा गया हो। इसके अलावा, ऐसा प्रतीत होता है कि एक ओर 'जी' (मृतक) और पीडब्लू 1 और दूसरी ओर 'बी' और उसकी पत्नी के बीच संबंध पूरी तरह से शत्रुतापूर्ण थे। पीडब्लू 1 ने कहा है कि 'बी' और उसकी पत्नी उक्त ट्रस्ट की अध्यक्षता के लिए बैठकों में उसे और 'जी' (मृतक) को धमकियां देते थे। आरोपी 'बी' और उसकी पत्नी ने उसकी बेटी, जो उसी संस्थान में पढ़ रही थी, के साथ बलात्कार करने की धमकी दी थी और कहा था कि वे ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उनके रिश्तेदार कट्टर अपराधी हैं। वे यह भी कहते थे कि वे "गुरदासपुरिया" हैं और इस संस्थान की अध्यक्षता पाने के लिए वे प्रतिद्वंद्वी की हत्या भी कर सकते हैं। धमकियों ने पीडब्ल्यू 1 को अपने पति से अपनी बेटी को उक्त संस्थान से वापस लेने और उसे किसी अन्य संस्थान में स्थानांतरित करने के लिए कहने के लिए मजबूर किया, ताकि 'बी' किसी को कोई नुकसान न पहुंचा सके, लेकिन उसका पति सहमत नहीं हुआ। जिरह में पीडब्लू 1 ने स्पष्ट किया कि उसने पुलिस को दिए गए बयान में स्पष्ट रूप से कहा था कि 'बी' ने उसकी बेटी के साथ बलात्कार करने की धमकी दी थी। जहां तक उनके इस बयान का संबंध है कि उन्होंने अपनी बेटी को किसी अन्य संस्थान में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया था और जब उन्हें अपने

परीक्षा-प्रमुख में इस तरह के बयान की अनुपस्थिति के बारे में बताया गया, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि यह निहित है कि उन्हें उक्त संस्थान से ले जाने के बाद उसे किसी अन्य संस्थान में दाखिला दिया जाना था। जिरह पीडब्लू 1 की गवाही को खारिज करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि 'बी' की अपने पति और खुद के खिलाफ उच्च स्तर की दुश्मनी थी, जो विचाराधीन हत्या का मकसद बन गई। यह अनुमान इस तथ्य से पुष्ट होता है कि 'एस' और 'आर' का 'जी' की हत्या के लिए कोई व्यक्तिगत मकसद या शिकायत नहीं थी। [पैरा 33] [612-जी-एच; 613-ए-जी]

6. गौरतलब है कि 'बी' ने घटना की दिनांक को मोहाली और यहां तक कि भारत से भी अपनी अनुपस्थिति सुनिश्चित की थी। 14.06.2003 को पाकिस्तान गया और 22.06.2003 को वापस लौटा और इस बीच 'एस' और 'आर' योजना की तैयारी के लिए अपराध स्थल के पास विभिन्न स्थानों पर रुके। इस संबंध में, उच्च न्यायालय के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है कि 'बी' का मकसद 'जी' को घोषणाओं से हटाने के लिए स्थापित किया गया है कि वह मृतक की बेटी के साथ बलात्कार करेगा, जो संस्थान में पढ़ रही थी और वह उस संस्थान का नियंत्रण हासिल कर लेगा जिसमें भारी वित्त शामिल था। मकसद का सटीक कारण या उस मकसद को प्रेरित करने वाले सटीक कारक को निर्धारित करना संभव नहीं है। जब उच्च स्तर की शत्रुता स्थापित हो जाती है तो

मकसद के अस्तित्व को स्थापित माना जा सकता है। [पैरा 34] [613-एच; 614-ए-सी]

7. यह ऐसा मामला नहीं है जहां जो स्थापित किया गया है वह बिना किसी परिस्थितिजन्य साक्ष्य के केवल मकसद है। रिकॉर्ड पर जो लाया गया है वह अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के साथ 'बी' का मकसद है जो अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त है। साक्ष्य मृतक के खिलाफ 'एस' और 'आर' द्वारा पैदा किए गए किसी भी व्यक्तिगत मकसद के उदाहरणों को प्रदर्शित नहीं करता है और पीड़ित को मारने का एकमात्र कारण यह है कि 'बी' हत्या का मास्टर माइंड था। पीडब्लू 1 और अभियोजन पक्ष के अन्य गवाहों के साक्ष्य ठोस, विश्वसनीय और भरोसेमंद हैं। नतीजतन, अपीलों में कोई योग्यता नहीं है। [पैरा 35 और 36] [614-जी--एच; 615-ए-बी]

संपत कुमार बनाम पुलिस निरीक्षक (2012) 4 एससीसी 124: 2012 (2) एससीआर 289; संतोष कुमार सिंह बनाम राज्य (2010) 9 एससीसी 747: 2010 (13) एससीआर 901 रुकिया बेगम बनाम कर्नाटक राज्य (2011) 4 एससीसी 779: 2011 (4) एससीआर 711-प्रतिष्ठित।

केस कानून संदर्भः

2012 (2) एससीआर 289	relied on	पैरा 27
2000 (3) सप्ल. एससीआर 104	relied on	पैरा 27

2010 (15) एससीआर 452	relied on	पैरा 28
(2013) 5 एससीसी 722	relied on	पैरा 29
2012 (2) एससीआर 289	distinguished	पैरा 35
2010 (13) एससीआर 901	distinguished	पैरा 35
2011 (4) एससीआर 711	distinguished	पैरा 38

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 1110/2009

आपराधिक अपील संख्या 334/2007-डीबी में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 17.07.2008 से

साथ में

सी.आर.एल.ए.संख्या 1112/2009 और 1111/2009

एच.एस. फुल्का, महावीर सिंह, नीरज गुप्ता, एच.जे. एस. अहलूवालिया गुर्सिमरंजित सिंह, Ms. अनुपमा गुप्ता, अमरजीत सिंह बेदी, अमिता शर्मा, नेहा कपूर अपीलार्थी

उत्तरदाताओं के लिए वी. मधुकर एएजी, परितोष अनिल, अन्विता गौशिश, कुलदीप सिंह, चंद्र शेखर, प्रभात कुमार आर., प्रकाश गौतम, अशोक के. महाजन।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

एस.ए. बोबडे, जे.

1. इस सामान्य निर्णय के द्वारा, हम इन अपीलों का निपटान करने का प्रस्ताव करते हैं क्योंकि वे एक ही घटना से उत्पन्न हुई हैं और उनमें कानून और तथ्यों के सामान्य प्रश्न शामिल हैं।

2. ये अपीलें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 17.07.2008 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध निर्देशित हैं। चंडीगढ़ में आपराधिक अपील संख्या 334/2007-डीबी में, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं की सजा की पुष्टि की, जैसा कि अतिरिक्त द्वारा आयोजित किया गया था। सत्र न्यायाधीश, रूपनगर, पंजाब ने अभियुक्तों-बख्शीश सिंह-अपील संख्या 1110/2009 में अपीलकर्ता, सतबीर सिंह की अपील संख्या 1111/2009 में अपीलकर्ता और रछपाल सिंह की अपील संख्या 1112/2009 में अपीलकर्ता को दोषी ठहराया और सजा सुनाई। भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302 के तहत [संक्षेप में 'भा.दं.सं.'] और 21 जून, 2003 की एफआईआर संख्या 271 में जुर्माना।

3. आरोप था कि बख्शीश सिंह ने सतबीर सिंह और रछपाल सिंह के साथ मिलकर गुरचरण सिंह की हत्या की साजिश रची। सत्र न्यायाधीश, रूपनगर ने बख्शीश सिंह को भा.दं.सं. की धारा 302 सपठित धारा 120-बी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी मानकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई । उस पर 5,000/-रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना

अदा न करने पर उन्हें तीन महीने की अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने का निर्देश दिया गया। अन्य अपीलकर्ताओं सतबीर सिंह और रछपाल सिंह को भा.दं.सं. की धारा 302 सपठित धारा 120बी और धारा 302 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी पाया गया। भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। प्रत्येक अभियुक्त पर 1,000/- रुपये का जुर्माना भी लगाया गया और भुगतान न करने पर उन्हें एक महीने की अवधि के लिए सश्रम कारावास भुगतने का निर्देश दिया गया। भा.दं.सं. की धारा 302 के साथ सपठित धारा 120-बी के तहत उन्हें आजीवन कारावास और 1,000/-रुपये प्रत्येक पर जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें एक माह की अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने का निर्देश दिया गया। हालाँकि, यह स्पष्ट कर दिया गया कि सभी सजाएँ एक साथ चलेंगी।

4. अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 21 जून 2003 को सुबह करीब साढ़े पांच बजे गुरचरण सिंह सुबह की सैर के लिए अपने घर से सटे पार्क में गए थे। इसके तुरंत बाद उनकी पत्नी कुलविंदर कौर पीडब्लू 1, उनके साथ शामिल हो गई। वह अपने पति से 20-25 कदम पीछे थी। जब गुरचरण सिंह पार्क के मुख्य गेट के पास पहुंचे तो दो लंबे कद वाले युवकों ने गुरचरण सिंह पर खंजर से हमला कर दिया, उन्होंने उसकी छाती और गर्दन पर चोटें पहुंचाईं। वह मदद के लिए चिल्लाया, उनकी पत्नी कुलविंदर कौर भी मदद के लिए चिल्लाई। दोनों लोगों ने गुरचरण सिंह पर बेरहमी

से चाकू से वार किया और मौके से भाग गए। उक्त हमलावर सतबीर सिंह और रछपाल सिंह अपीलकर्ता हैं।

5. गुरचरण सिंह के पड़ौसी हरदेव सिंह पीडब्लू-2, ने कुलविंदर कौर पीडब्लू 1 की चीख सुनी और मौके पर पहुंचे और एक वाहन की व्यवस्था की और गुरचरण सिंह को मोहाली के फोर्टिस अस्पताल ले गए। अस्पताल में उनकी जांच करने वाले डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

6. फोर्टिस अस्पताल में, गुरचरण सिंह की देखभाल पीडब्लू-7 डॉ. कमलजीत चचल और पीडब्लू-8 डॉ. संजय अहुलवालिया ने की, उन्होंने गुरचरण सिंह के शव पर चाकू के कई घाव देखे। उन्होंने पुष्टि की कि उनकी मृत्यु 21 जून, 2003 को सुबह 6 बजे हुई थी। मृत्यु का कारण चाकू से कई चोटें बताई गई थी।

7. सूचना मिलने पर सब-इंस्पेक्टर रमनदीप सिंह (पी.डब्ल्यू.21) फोर्टिस अस्पताल पहुंचे और कुलविंदर कौर (पीडब्लू 1) का बयान दर्ज किया। उन्होंने इस पर अपनी मुहर लगाई और इसे पुलिस स्टेशन, मोहाली को भेज दिया। शिकायतकर्ता कुलविंदर कौर पीडब्लू 1, ने सब-इंस्पेक्टर रमनदीप सिंह (पीडब्लू 21) को घटना की सूचना देने के अलावा यह भी कहा कि वह हमलावरों को देखकर उन्हें पहचान सकती है। सब-इंस्पेक्टर रमनदीप सिंह (पीडब्ल्यू 21) गवाहों के बयान दर्ज किए और गुरचरण सिंह के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल, मोहाली भेज दिया।

8. इसके बाद, उप-निरीक्षक रमनदीप सिंह (पीडब्लू 21) कुलविंदर कौर पीडब्लू 1 के साथ घटनास्थल पर गए और घटनास्थल का निरीक्षण किया। उसने वहां से खून से सनी मिट्टी इकट्ठी की और पास में पड़े दो बटन भी अपने कब्जे में ले लिए, उसने पार्क की बाड़ से खून से सना हुआ खंजर (प्रदर्श पी.2) और पास की बाड़ से कुछ पत्तियां भी अपने कब्जे में ले ली जो खून से सनी हुई थी। बाड़ के पास एक कंटीला तार लगा हुआ था और उसमें कपड़े का एक टुकड़ा फंसा हुआ था। कपड़े का वह टुकड़ा किसी आदमी की शर्ट की जेब का हिस्सा लग रहा था। वह खून से सना हुआ था और उसे कब्जे में ले लिया गया। चूंकि कुलविंदर कौर पीडब्लू 1 ने बख्शीश सिंह की संलिप्तता के बारे में संदेह व्यक्त किया, उप-निरीक्षक रमनदीप सिंह (पीडब्लू 21) ने उसके घर पर छापा मारा, तो पता चला कि वह पाकिस्तान चला गया है।

9. पोस्टमार्टम जांच में मृतक गुरचरण सिंह की छाती और गर्दन पर 17 घाव पाए गए। डॉ. नवनीत कौर (पीडब्लू 8) ने सिविल अस्पताल, मोहाली में गुरचरण सिंह के शव का पोस्टमार्टम किया। बाद में पुलिस के अनुरोध पर डॉक्टर ने अपनी राय दी कि चोटें तेज धार वाले हथियार से लगी थी।

10. 22 जून 2003 को, उप-निरीक्षक रमनदीप सिंह (पीडब्लू 21) ने बख्शीश सिंह को आपराधिक प्रक्रिया संहिता [इसके बाद 'संहिता' के रूप में

संदर्भित] की धारा 160 के तहत एक नोटिस भेजा। उक्त नोटिस बख्शीश सिंह को पाकिस्तान से भारत में प्रवेश करते ही बाघा सीमा पर दिया गया था। सब-इंस्पेक्टर रमनदीप सिंह ने उससे पूछताछ की और अगले दिन मिलने को कहा। हालाँकि, वह नहीं आये।

11. चूंकि हमलावरों के बारे में कोई सुराग नहीं मिला था, इसलिए 22 जून 2003 को क्षेत्र के समाचार पत्र में एक नोटिस प्रकाशित किया गया जिसमें आम जनता से आह्वान किया गया कि अगर उनके पास घटना के बारे में कोई सुराग है तो वे बताएं। उक्त नोटिस को पढ़ने के बाद, नरिंदर बनवैत (पीडब्लू 19) ने 23 जून, 2003 को उप-निरीक्षक रमनदीप सिंह (पीडब्लू 21) से मुलाकात की। उन्होंने खुलासा किया कि भौतिक दिन पर, जब वह पार्क की बाड़ के पास आए, तो उन्होंने दो युवकों को संदिग्ध परिस्थितियों में फेज इलेवन, मोहाली की ओर भागते देखा। उनमें से एक की बांह पर कटे का निशान था, दोनों के कपड़ों पर खून के धब्बे थे, उनमें से एक के हाथ में खून से सना खंजर जैसा चाकू था, वे दोनों पार्क की बाड़ फांदकर बजाज चेतक स्कूटर नंबर सीएच-01-डी-4465 पर चले गए, जो पार्क के बाहर सड़क के पास खड़ा था। पुलिस को अंततः पता चला कि उक्त स्कूटर किसी राकेश कुमार (पीडब्लू -5) के नाम पर पंजीकृत था, जिसने कहा था कि उसने उसे सिरीकांत भंडारी (पीडब्लू-3) के माध्यम से आरोपी/अपीलकर्ता सतबीर सिंह को बेच दिया था, जो व्यवसाय कर रहा था। वाहनों की खरीद-बिक्री की, सतबीर सिंह को स्कूटर की बिक्री भुगतान

रसीद (प्रदर्शनी पीडब्लू 4/बी) और डिलीवरी रसीद (प्रदर्शनी पीडब्लू 4/सी) के आधार पर की गई थी, जिस पर सतबीर सिंह के हस्ताक्षर थे।

12. अभियोजन पक्ष के अनुसार 03 जुलाई 2003 को पुलिस उपाधीक्षक को एक कॉल प्राप्त हुई, दलजीत सिंह (पीडब्लू 20) अमर सिंह (पीडब्लू 13) से, इस आशय से कि अपीलकर्ता सतबीर सिंह और रछपाल सिंह उनके साथ उनके घर पर मौजूद थे और उन्होंने बख्शीश सिंह के कहने पर 21 जून, 2003 को गुरचरण सिंह की हत्या कर दी थी और उन्होंने अनुरोध किया था उन्हें पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा, क्योंकि पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। इन दोनों अपीलकर्ताओं को 03 जुलाई 2003 को सब-इंस्पेक्टर रमनदीप सिंह (पीडब्लू 21) द्वारा औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया था।

13. अपीलकर्ता/अभियुक्त-बख्शीश सिंह को भी 03 जुलाई 2003 को रोपड़ के बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया था, जब सब-इंस्पेक्टर रमनदीप सिंह को सूचना मिली कि वह वहां है।

14. 04 जुलाई 2003 को सब-इंस्पेक्टर रमनदीप सिंह (पीडब्लू 21) ने सभी आरोपियों को इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। सतबीर सिंह और रछपाल सिंह ने इलाक़ा मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन किया कि वे अपनी पहचान परेड के लिए इच्छुक नहीं हैं। इसलिए इलाका मजिस्ट्रेट ने

उनकी पहचान परेड नहीं कराई और इस संबंध में 04 जुलाई 2003 को आदेश पारित किया।

15. 05 जुलाई 2003 को रछपाल सिंह ने इस आशय का एक खुलासा बयान दिया कि उसने अपराध में इस्तेमाल किए गए खून से सने खंजर और अपने खून से सने कपड़ों को ग्राम चिल्ला के क्षेत्र में निर्माणाधीन रेलवे पुल के पास छिपा दिया था, प्रकटीकरण कथन के परिणामस्वरूप, पुलिस दल उक्त रेलवे ब्रिज पर गया और एक खून से सना हुआ खंजर (प्रदर्शनी पीडब्लू 19/डी) और एक खून से सना हुआ शर्ट (प्रदर्शनी पीडब्लू 19/जी) और पतलून (प्रदर्शनी पीडब्लू 19/एफ) बरामद किया। प्रकट स्थान से ये वस्तुएं एक पॉलिथीन बैग में लपेटकर जमीन के नीचे रखी हुई मिली। इन वस्तुओं को नरिंदर बनवैत (पीडब्लू 19) और सहायक उप-निरीक्षक इकबाल सिंह द्वारा सत्यापित जब्ती ज्ञापन (प्रदर्शनी पीडब्लू 19/ई) के माध्यम से कब्जे में ले लिया गया।

16. आरोपी-सतबीर सिंह ने भी एक खुलासा बयान दिया, जिसके परिणामस्वरूप एक बजाज चेतक स्कूटर जिसका पंजीकरण नंबर सीएच-01-डी-4465 और एक खून से सना हुआ शर्ट (प्रदर्शनी पीडब्लू 19/एल), जो पड़ा हुआ था, पापरी और मनौली को जोड़ने वाली सड़क के किनारे नाले के पास झाड़ियों में ये बरामद किए गए। स्कूटर की डिग्गी से उसका ड्राइविंग लाइसेंस और विजिटिंग कार्ड भी बरामद हुए। स्कूटर सहित इन

वस्तुओं को जब्ती ज्ञापन प्रदर्शनी पीडब्लू 19/एच के माध्यम से कब्जे में ले लिया गया।

17. घटनास्थल से बरामद खून से सनी मिट्टी और खंजर को विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट देखने पर पता चला कि खंजर और मिट्टी इंसानों के खून से सने हुए थे। रिपोर्ट एक्ज़िबिट पीए/4 के अनुसार रछपाल सिंह की निशानदेही पर बरामद किए गए खंजर और कपड़े भी मानव रक्त से सने हुए पाए गए।

18. मुकदमे में, अभियोजन पक्ष ने 21 गवाहों से पूछताछ की। अभियोजन साक्ष्य पूरा होने के बाद, अभियुक्तों के बयान संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए। अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों ने स्वयं को निर्दोष बताया।

19. सतबीर सिंह और रछपाल सिंह का मामला, जिन्होंने गुरचरण सिंह पर हमला किया था, आरोपी बख्शीश सिंह के मामले से अलग से लिया जा सकता है, जिसे अपराध का मास्टरमाइंड कहा जाता है। सतबीर सिंह बख्शीश सिंह के भतीजे हैं। रिछपाल सिंह सतबीर सिंह का साथी है जिसका बख्शीश सिंह के साथ कोई स्पष्ट संबंध नहीं है। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने स्पष्ट निष्कर्ष दिया है कि इन दोनों ने पार्क में गुरचरण सिंह की हत्या की। निचली अदालतों ने बरामदगी के आधार पर और कुलविंदर कौर पीडब्लू 1, जो एक चश्मदीद गवाह थी, के साक्ष्य के आधार पर एक

निष्कर्ष दिया है। कुलविंदर कौर पीडब्लू 1, ने अपने बयान में कहा है कि जब वह अपने पति से लगभग 20/25 कदम पीछे चल रही थी, तो दो लड़के "काफी दाढ़ी और कटे हुए" मुख्य द्वार से आए और उनके पति पर खंजर से हमला किया। उनकी उम्र लगभग 26/27 साल थी, उसने 'बचाओ-बचाओ' का नारा लगाया। उक्त दोनों लड़के मेड़ फांदकर भाग गये। अदालत में उसने कहा कि उक्त दोनों लड़के अदालत में मौजूद हैं और वह उनकी पहचान कर सकती है क्योंकि वे वही व्यक्ति हैं जिन्होंने उसके पति को चाकू मारा था। उन्होंने कहा कि बख्शीश सिंह द्वारा अपनी पत्नी हरदेव कौर के साथ मिलकर "खांडी फ्रेंड्स एजुकेशनल ट्रस्ट" का चेयरमैन शिप हासिल करने के लिए की गई साजिश का नतीजा हो सकता है, जिसके गुरचरण सिंह चेयरमैन थे।

20. अब हम हमले के एकमात्र चश्मदीद गवाह, मृतक की पत्नी, कुलविंदर कौर पीडब्लू 1, के बयानों की ओर रुख कर सकते हैं। उन्होंने इस घटना का काफी स्पष्टता के साथ वर्णन किया है, उन्होंने कहा कि वह अपने पति के साथ सुबह की सैर पर जाती थी। भौतिक दिन पर वह उससे थोड़ी देर से शुरू हुई लेकिन पार्क तक उसका पीछा करती रही। बाद में जब वह अपने पति से लगभग 20/25 कदम पीछे थी तो दो लड़के मुख्य द्वार से पार्क के अंदर आये और उनके पति के साथ मारपीट की। उक्त दोनों लड़के कटी हुई दाढ़ी वाले थे। उसका वास्तविक विवरण "काफी दाढ़ी और कटी हुई दाढ़ी" है। इसका अर्थ बिना पूर्ण विकसित दाढ़ी वाले व्यक्तियों को

संदेश देना समझा जाना चाहिए। उन्होंने और उनके पति ने "बचाओ-बचाओ" का नारा लगाया। उसे याद आया कि खंजर वहीं पड़ा था। उसने स्पष्ट रूप से अदालत में मौजूद उक्त लड़कों की पहचान सतबीर सिंह और दूसरे की उसके दोस्त के रूप में की है। सतबीर सिंह की उसकी पहचान के संबंध में यह तर्क दिया गया कि वह भ्रमित थी। इसके पीछे कारण यह हो सकता है कि जब उसने एक तस्वीर में उसे पहचाना था तो उसकी पूरी बढ़ी हुई दाढ़ी थी। अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील के अनुसार, सतबीर सिंह के बारे में उनका विवरण यह था कि उसकी कटी हुई दाढ़ी थी, लेकिन अदालत में जब उसकी पहचान कुलविंदर कौर पीडब्लू 1 द्वारा की गई; उनकी कटी हुई दाढ़ी नहीं थी बल्कि पूरी बढ़ी हुई दाढ़ी थी। इस तर्क को खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि किसी व्यक्ति के लिए यह काफी स्वाभाविक प्रतीत होगा जब वह अपराध करने जा रहा हो और अपनी दाढ़ी काटकर अपना रूप बदल ले। इसके अलावा, ऐसी पत्नी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है जिसके पति पर हमला हुआ हो, उसने हमलावर के चेहरे को ध्यान से देखा हो और उसके बाद उसी व्यक्ति की पहचान कर ली हो, भले ही उसकी दाढ़ी वापस बढ़ गई हो और तस्वीर से भी उस व्यक्ति की पहचान कर सके। हम उल्लेख कर सकते हैं कि सतबीर सिंह को "खांडी फ्रेंड्स एजुकेशनल ट्रस्ट" नामक ट्रस्ट द्वारा संचालित "इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, भद्दल" द्वारा नियोजित किया गया था, जिसके संस्थापक अध्यक्ष गुरचरण सिंह (मृतक) थे और गवाह देखते थे उसे कई

मौकों पर, हमें रिछपाल सिंह की उसकी पहचान पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं दिखता, जिसे उसने अपने पति के साथ मारपीट करते समय करीब से देखा था।

21. नरिंदर बनवैत (पीडब्लू 19), जिन्होंने सुराग के लिए सार्वजनिक अपील पढ़ने के बाद पुलिस को सूचित किया था, ने अपने साक्ष्य में कहा कि वह 21 जून, 2003 को सुबह की सैर के लिए उस पार्क में गए थे। जब वह पार्क के बाहर थे उन्होंने दो युवकों को संदिग्ध परिस्थितियों में फेज-11 मोहाली की ओर भागते देखा। इनमें से एक की उम्र 32/33 साल थी और दूसरे की उम्र 28 साल थी, उनमें से एक की बांह पर चोट का निशान था। उनके कपड़े खून से सने हुए थे, उनमें से एक के हाथ में खंजर/चाकू था, जिस पर खून का दाग भी था, वे उसकी उपस्थिति में झाड़ियों से कूद गए और बजाज चेतक स्कूटर नंबर सीएच-01-डी-4465 पर भाग गए, जो सड़क के पास खड़ा था। उन्होंने अदालत में उनकी पहचान की, उन्होंने कहा कि उन्होंने अखबार में एसपी पुलिस द्वारा जारी एक सार्वजनिक नोटिस पढ़ा, जिसमें जनता से गुरचरण सिंह की हत्या के बारे में कोई सुराग देने का अनुरोध किया गया था और फिर उन्होंने पुलिस से संपर्क किया और पुलिस द्वारा अपना बयान दर्ज कराया। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने सतबीर सिंह के प्रकटीकरण बयान पर हस्ताक्षर किए और पुलिस के साथ आरोपी द्वारा बताए गए घटनास्थल पर गए। उन्होंने रछपाल सिंह द्वारा किए गए खुलासे और एक खंजर और खून से सने कपड़ों की बरामदगी के बारे में भी

बताया। उन्होंने न्यायालय में बरामद सामान की पहचान की, इसके बाद उन्होंने नीले रंग के पंजीकरण संख्या सीएच-01-डी-4465 वाले बजाज चेतक स्कूटर की बरामदगी के लिए गवाही दी। उन्होंने यह भी बताया कि सतबीर सिंह पुलिस पार्टी को बताए गए स्थान पर ले गए और स्कूटर की डिक्की से एक ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूटर की खरीद से संबंधित बिक्री पत्र और किसी होटल का एक विजिटिंग कार्ड और खून से सना एक कार्ड बरामद किया व साथ में शर्ट, जो बायीं ओर से फटी हुई थी, बरामद किया। उन्होंने स्कूटर और अन्य सामान की भी पहचान की। हालाँकि, उन्होंने कहा कि दोनों आरोपी कह रहे थे कि "चेयरमैन और चाचा का कांडा कद दित्ता है भारत में मौजूद नहीं है और उन्हें पैसे लेने के लिए चाची के पास जाना चाहिए"। इस समय, हम आपराधिक अपील संख्या 1110/2009 में अपीलकर्ता /अभियुक्त बख्शीश सिंह की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एचएस फुल्का द्वारा की गई एक दलील पर ध्यान दे सकते हैं कि पुलिस के साथ अपने बयान में, इस गवाह ने अपना नाम मनिंदर बनवैत और बाद में अदालत में नरिंदर बनवैत दर्ज कराया। यह निस्संदेह सच है, लेकिन हम इस विसंगति को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं क्योंकि इससे गवाह की पहचान और घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति पर कोई संदेह नहीं होता है।

22. इस गवाह के बयानों और पुलिस को दिए गए उसके बयान में होने वाले कई विरोधाभासों का उल्लेख वरिष्ठ वकील श्री एचएस फुल्का ने

किया है। बताया गया कि उसने कहा कि उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया था, जबकि जांच अधिकारी ने इस बात से इनकार किया कि इस गवाह को पुलिस स्टेशन ले जाया गया था। अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील के अनुसार, नरिंदर बनवैत (पीडब्लू 19) ने अपने बयान में कहा है कि वह घटना के बाद 15/20 मिनट तक पुलिस स्टेशन में रहे, यानी जब वह पुलिस में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने गए थे। जबकि जांच अधिकारी ने कहा था कि 23 जून 2003 को नरिंदर बनवैत (पीडब्लू 19) उनके साथ डेढ़ घंटे तक रुके थे और उन्होंने उस दिन पुलिस स्टेशन में अपने किसी भी वरिष्ठ अधिकारी के सामने नरिंदर बनवैत (पीडब्लू 19) को पेश नहीं किया था। यह प्रस्तुत किया गया कि यह एक बड़ा विरोधाभास था। साक्ष्यों का अवलोकन करने पर पता चलता है कि उक्त गवाह का कथन है कि वह एक बार पुलिस थाने गया था, परन्तु समय व्यतीत हो जाने के कारण उसे दिनांक व समय याद नहीं है। इसके बाद उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशन के बाद के दौरे पर वह 15/20 मिनट तक वहां रुके थे। इस तथ्य के अलावा कि कथित विरोधाभास 23 जून, 2003 की यात्रा के संबंध में नहीं है, बल्कि उसके बाद की यात्रा के बारे में है, हम इस विरोधाभास को इतना महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं कि इस गवाह की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सके, जो अन्यथा पुष्ट है। उन्होंने आगे कहा कि नरिंदर बनवैत (पीडब्लू 19) झूठा बयान दिया है कि इन दोनों आरोपियों ने भागते समय कहा था कि "चेयरमैन और चाचा का कांडा कद दित्ता है भारत में मौजूद नहीं है

और उन्हें पैसे लेने के लिए चाची के पास जाना चाहिए"। विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार यह गवाह बख्शीश सिंह को साजिश में शामिल करने की कोशिश कर रहा है, जो दोषी नहीं है क्योंकि वह घटना की तारीख पर पाकिस्तान में था। हालाँकि, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों को देखने पर, हमें यह नहीं पता चला कि इन विरोधाभासों ने पार्क के बाहर घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति या उसने आरोपी को भागते हुए देखने के संबंध में गवाह की विश्वसनीयता को हिला दिया है। इन तथ्यों की कुलविंदर कौर पीडब्लू 1 के साक्ष्य और उक्त अभियुक्त द्वारा किए गए खुलासे से हुई बरामदगी से काफी हद तक पुष्टि हुई है। हम इस दलील को स्वीकार करने के लिए भी इच्छुक नहीं हैं कि केवल इसलिए कि गवाह ने घटना की तारीख पर तुरंत पुलिस से संपर्क नहीं किया था, बल्कि सार्वजनिक नोटिस पढ़ने के बाद पुलिस से संपर्क किया था, उसकी गवाही को खारिज किया जा सकता है। हालाँकि यह सुझाव दिया गया था कि यह गवाह गुरचरण सिंह (मृतक) और कुलविंदर कौर पीडब्लू 1 से जुड़ा था, इस बयान को प्रदर्शित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है। इस गवाह का कोई मकसद यह नहीं बताया जा सकता कि उसने गुरचरण सिंह (मृतक) या उसकी पत्नी या अभियोजन पक्ष के साथ किसी भी संबंध के कारण पुलिस से संपर्क किया और अपनी गवाही दी।

23. आपराधिक अपील संख्या 1111/2009 की 1112/2009 में आरोपी/अपीलकर्ता सतबीर सिंह और रछपाल सिंह की ओर से उपस्थित

विद्वान वरिष्ठ वकील श्री महावीर सिंह ने आग्रह किया था कि नरिंदर बनवैत (पीडब्लू 19) बात नहीं कर रहे हैं। सच तो यह है कि हमलावर बाड़ के बीच से भाग निकले थे क्योंकि अपने बयान में उन्होंने कहा था कि कुछ बिंदुओं पर पार्क की बाड़ 5 ½ फीट/6 फीट लंबी थी और कंटीले तार भी बाड़ से होकर गुजर रहे थे और उन्होंने दोबारा नहीं कहा कि क्या जिस स्थान पर वह मौजूद था उस स्थान पर कंटीले तार थे या नहीं, जबकि पीडब्लू 19/ए-जियान चंद, ड्राफ्ट्समैन ने अपने बयान में कहा है कि वहां कंटीले तारों की तीन लाइनें थीं, जो उनके द्वारा तैयार किए गए साइट प्लान में दिखाई गई हैं। ऐसे में, नरिंदर बनवैत (पीडब्लू 19) सच नहीं बोल रहे हैं क्योंकि दोनों हमलावर कंटीले तारों की बाड़ के माध्यम से भाग नहीं सकते थे। इस विवाद में कोई दम नहीं है, पीडब्लू 19/ए के स्पष्ट दावे के मद्देनजर-जियान चंद, ड्राफ्ट्समैन, जिन्होंने एक साइट योजना तैयार की है, जिसे रिकॉर्ड में लाया गया है, कि कांटेदार तार की ऊंचाई केवल तीन फीट थी। तार के ऊपर संभवतः बिना किसी कंटीले तार के केवल बाड़ थी। इसके अलावा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आरोपी बाड़े के माध्यम से भाग गए हैं क्योंकि बाड़े से खून से सने पत्ते और कपड़े का एक फटा हुआ टुकड़ा मिला है, संभवतः शर्ट की जेब का फटा हुआ कपड़ा कांटेदार तार में उलझा हुआ पाया गया है।

24. आगे यह आग्रह किया गया कि जो खंजर अदालत में पेश किया गया था, उसे अपराध के लिए एक साधन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया

जा सकता था, क्योंकि पोस्टमार्टम के दौरान खंजर डॉक्टर को नहीं दिखाया गया था। जांच और डॉक्टर ने सिर्फ इतना कहा है कि चोट न्यायालय में प्रस्तुत किए गए धारदार हथियार से लगी हो सकती है। हमें डॉक्टर की गवाही से पता चलता है कि उसने गवाही दी थी कि चोटें तेज धार वाले हथियार से हुई थी, जो अपराध के लिए खंजर के इस्तेमाल से काफी मेल खाती है।

25. आगे यह प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन का मामला संदिग्ध है क्योंकि फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में कपड़े और खंजर भेजने में देरी हुई थी और अन्यथा भी फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट से पता चलता है कि खंजर में मानव रक्त था लेकिन किसी का संदर्भ दिए बिना ब्लड ग्रुप। रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर, हम पाते हैं कि नीचे की अदालतों के समक्ष यह दलील नहीं दी गई थी कि रक्त समूह का पता नहीं लगाया गया था और इसलिए यह मृतक का खून नहीं था। किसी भी मामले में, इससे अभियोजन पक्ष पर कोई संदेह नहीं होता है जो कि नीचे दिए गए सबूतों और अदालतों के निष्कर्षों से साबित हुआ है।

26. यह भी आग्रह किया गया कि जिस बंडल द्वारा सामान न्यायालय में जमा किया गया था उस पर कुछ ओवरराइटिंग है और सामान जमा करने में देरी हो रही है। हमने रिकार्डों की सावधानीपूर्वक जांच की है। हालाँकि इसमें कुछ असंगत है लेकिन यह अभियोजन मामले के

सार को खारिज करने के लिए पर्याप्त नहीं है जो कि उचित रूप से पेश किए गए सबूतों पर आधारित है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि गुरचरण सिंह पर उस समय हमला किया गया जब वह पार्क में टहल रहे थे और नरिंदर बनवैत, पीडब्लू 19 ने दो हमलावरों को स्कूटर पर पार्क से भागते देखा था। ये दोनों सतबीर सिंह और रछपाल सिंह थे, जिनकी पहचान कुलविंदर कौर ने की। दोनों आरोपियों की निशानदेही पर बरामद किए गए चाकू और स्कूटर का इस्तेमाल अपराध में किया गया था। खंजर इंसानों के खून से सना हुआ था। इसलिए रछपाल सिंह को सरकारी गवाह बनने के लिए प्रेरित करने का पुलिस अधिकारियों का कथित प्रयास उस घटना के अभियोजन पक्ष के संस्करण को बदनाम नहीं करता है जो उसके सामने विश्वास व्यक्त करता है। किसी भी स्थिति में, उस पहलू पर आगे विचार करना आवश्यक नहीं है।

27. इसके बाद आग्रह किया गया कि उक्त गवाह ने अदालत के समक्ष कई बातें बताई जो संहिता की धारा 161 के तहत नहीं बताई गई थी जैसे

(i) "चेयरमैन और चाचा का कांड कद दित्ता है भारत में मौजूद नहीं हैं और उन्हें जाना चाहिए" चाची पैसे ले लो";

(ii) संस्थान के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह थे;

(iii) बख्शीश सिंह ने खुलासा किया कि उनकी चेयरमैन, गुरचरण सिंह के साथ राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता थी और बख्शीश सिंह ने खुलासा किया कि चेयरमैन गुरचरण सिंह की हत्या के लिए सतबीर सिंह और रछपाल सिंह प्रत्येक को 20,000/- रुपये का भुगतान किया गया था;

(iv) जिन व्यक्तियों को नरिंदर बनवैत (पीडब्लू 19) ने भागते देखा था, वे संदिग्ध परिस्थितियों में भाग रहे थे; 161 कथन के अंतर्गत 'संदिग्ध परिस्थितियों' का उल्लेख नहीं किया गया था

(v) उक्त दो व्यक्ति गुजर चुके थे और वह उनसे केवल ¾ फीट की दूरी पर था; 161 कथन के अंतर्गत 'दूरी' का उल्लेख नहीं किया गया था;

(vi) वही देखकर मैं डर गया;161 कथन के अंतर्गत 'डरने का तथ्य' का उल्लेख नहीं किया गया था;

(vii) बख्शीश सिंह ने खुलासा किया कि हत्या को तभी अंजाम दिया जाना था जब बख्शीश सिंह विदेश में होंगे। ये निस्संदेह इस साक्षी द्वारा अलंकृत प्रतीत होते हैं। सवाल यह है कि क्या ये अलंकरण ऐसे हैं जो अभियोजन की कहानी के मूल को नष्ट कर देंगे, जो अन्यथा स्थापित पाया गया है। इस न्यायालय ने कई मामलों में पाया कि मामूली असंगत संस्करण/विसंगतियां जरूरी नहीं कि पूरी अभियोजन कहानी को ध्वस्त कर दें, अगर इसे अन्यथा विश्वसनीय पाया जाता है। संपत कुमार बनाम पुलिस इंस्पेक्टर (2012) 4 एससीसी 124 में, इस न्यायालय ने पहले के कई

निर्णयों की जांच करने के बाद निम्नलिखित प्रभाव के लिए नारायण चेतनराम चौधरी बनाम महाराष्ट्र राज्य: (2000) 8 एससीसी 457 में टिप्पणियों पर भरोसा किया-

> "42. गवाह की गवाही को बदनाम करने के लिए केवल ऐसी चूकों का उपयोग किया जा सकता है जो भौतिक विवरणों में विरोधाभास की ओर ले जाती है। पुलिस के बयान में चूक अपने आपमें गवाह की गवाही को अविश्वसनीय नहीं बनाएगी। जब अदालत में गवाह द्वारा दिया गया विवरण उसके पहले के बयानों में बताए गए विवरण से भिन्न होता है, तो अभियोजन पक्ष का मामला संदिग्ध हो जाता है, अन्यथा नहीं। सच्चे गवाहों के बयानों में छोटे-मोटे विरोधाभास आना स्वाभाविक है, क्योंकि स्मृति कभी-कभी झूठ बोलती है और अवलोकन की भावना हर व्यक्ति में भिन्न होती है।"

28. सुनील कुमार संभुदयाल गुप्ता (डॉ.) बनाम महाराष्ट्र राज्य(2010) 13 एससीसी 657, में इस न्यायालय ने इस प्रकार देखा-

> "30. सबूतों की सराहना करते समय, अदालत को इस बात पर विचार करना होगा कि क्या विरोधाभास/चूक इतने बड़े पैमाने पर थे कि वे मुकदमे को भौतिक रूप से प्रभावित कर

सकते थे। अभियोजन मामले के मूल को प्रभावित किए बिना मामूली विरोधाभासों, विसंगतियों, अलंकरणों या मामूली मामलों में सुधार को साक्ष्य को पूरी तरह से खारिज करने का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। ट्रायल कोर्ट को पूरे सबूतों को देखने के बाद गवाहों की विश्वसनीयता के बारे में एक राय बनानी चाहिए और सामान्य तौर पर अपीलीय अदालत के लिए उचित कारणों के बिना इसकी दोबारा समीक्षा करना उचित नहीं होगा। (राज्य बनाम सरवनन देखें) (2008)17 एससीसी 587"

29. ऊपर उल्लिखित नरिंदर बनवैत (पीडब्लू 19) के बयानों में अलंकरण, हमारे विचार में ऐसे विरोधाभासों का गठन नहीं करते हैं जो अभियोजन मामले के मूल को नष्ट कर देते हैं जैसा कि इस न्यायालय ने राज कुमार सिंह उर्फ राजू अलियास बट्या बनाम राजस्थान राज्य के मामले में किया था। (2013) 5 एससीसी 722 पृष्ठ 740 पर निम्नानुसार देखा गया है:

"यह एक स्थापित कानूनी प्रस्ताव है, जबकि एक नाबालिग गवाह के साक्ष्य की सराहना करना छोटी-छोटी बातों पर विसंगतियाँ, जिनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अभियोजन पक्ष के मामले का मूल, नहीं होना चाहिए, अदालत को इस

प्रकार प्रदान किए गए सबूतों को पूरी तरह से खारिज करने के लिए प्रेरित करे। अप्रासंगिक विवरण जो किसी भी तरह से गवाह की विश्वसनीयता को ख़राब नहीं करते हैं, उन्हें चूक या विरोधाभास के रूप में लेबल नहीं किया जा सकता है। इसलिए, अदालतों को सबूतों की सराहना करने के अपने अभ्यास में सतर्क और विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। अपनाया जाने वाला दृष्टिकोण यह है कि, यदि किसी गवाह के साक्ष्य को उसकी संपूर्णता में पढ़ा जाता है और उसमें सच्चाई की झलक मिलती है, तो अदालत के लिए साक्ष्य की विशेष रूप से जांच करना आवश्यक हो सकता है, जिसे ध्यान में रखते हुए उक्त साक्ष्य में बताई गई कमियों, कमियों और कमजोरियों पर समग्र रूप से ध्यान दें और उनका अलग-अलग मूल्यांकन करें, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या वे गवाहों द्वारा प्रदान किए गए साक्ष्य की प्रकृति के पूरी तरह से खिलाफ हैं और क्या ऐसे साक्ष्य की वैधता हिल गई है इस तरह के मूल्यांकन का गुण, इसे विश्वास के अयोग्य बना देता है।"

30. हमारा विचार है कि कथित चूक और अलंकरणों के बावजूद नरिंदर बनवैत (पीडब्लू 19) के साक्ष्य विश्वसनीयता के दायरे में बने हुए हैं।

31. एकमात्र अन्य गवाह, जो अपराध स्थल के करीब आया था, वह हरदेव सिंह पीडब्लू 2 है, जिसने कहा कि जब वह घटना वाले दिन पास के पार्क में टहलने गया, तो उसने एक अलार्म सुना कि "मार दित्ता मार दित्ता" "। फिर वह पार्क के अंदर गया और देखा कि कुलविंदर कौर पीडब्लू 1, वहां खड़ी थी और गुरचरण सिंह जमीन पर घायल हालत में पड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि कुलविंदर कौर पीडब्लू 1, ने उन्हें बताया कि दो व्यक्तियों ने गुरचरण सिंह पर चाकू से हमला किया और भाग गए। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने एक पड़ोसी को बुलाया, जो अपनी होंडा सिटी कार के साथ आया और गुरचरण सिंह को फोर्टिस अस्पताल, मोहाली ले गया। आगे यह तर्क दिया गया कि अभियोजन की कहानी स्पष्ट रूप से झूठी है क्योंकि हरदेव सिंह पीडब्लू 2 ने "मर दित्ता मर दित्ता" शब्द सुने, जबकि कुलविंदर कौर पीडब्लू 1 ने कहा कि उसने "बचाओ-बचाओ" का बिगुल बजाया था। हम इस विसंगति को इतना महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं कि कुलविंदर कौर पीडब्लू 1 या हरदेव सिंह पीडब्लू 2 के बयानों की सत्यता को खारिज कर सकें, क्योंकि इस प्रकृति की आपात स्थिति में गवाहों से उनके द्वारा बोले गए सटीक शब्दों को याद रखने की उम्मीद नहीं की जाती है। अक्सर किसी नृशंस हत्या को देखने वाले गवाहों से जो बात सामने आती है वह अस्पष्ट होती है। केवल इसी आधार पर गवाही को खारिज नहीं किया जा सकता। हम संतुष्ट हैं कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने सही निष्कर्ष दर्ज

किया है कि सतबीर सिंह और रछपाल सिंह ने गुरचरण सिंह पर चाकू से हमला किया, जिससे उनकी मौत हो गई।

32. इस मामले में सतबीर सिंह और रछपाल सिंह के गुरचरण सिंह की हत्या के मकसद से जुड़ा सवाल बहुत मायने रखता है, यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि सतबीर सिंह या रछपाल सिंह की व्यक्तिगत दुश्मनी थी या मृतक के साथ उनके ऐसे शत्रुतापूर्ण संबंध थे कि वे उसे मारना चाहते हो। हत्या में लूटपाट का कोई मामला शामिल नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है कि इन दोनों आरोपियों और मृतक गुरचरण सिंह, जो "खांडी फ्रेंड्स एजुकेशनल ट्रस्ट" के अध्यक्ष थे, के बीच कोई विवाद नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि सतबीर सिंह उक्त ट्रस्ट में निर्माण पर्यवेक्षक के रूप में कार्यरत थे, लेकिन ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं लाया गया है कि उनका गुरचरण सिंह के साथ कोई विवाद हो। रछपाल सिंह का गुरचरण सिंह से किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं दिखता है, तमाम सबूतों से यह साफ है कि गुरचरण सिंह को खत्म करने से इन दोनों को कोई फायदा नहीं हुआ, उनका उससे कोई झगड़ा नहीं था और उन्होंने उसे किसी भी संपत्ति से छुटकारा दिलाने का कोई प्रयास नहीं किया। सवाल यह है कि फिर उन्होंने उसे क्यों मारा? यदि गुरचरण सिंह के खिलाफ शत्रुता की भावना में कोई व्यक्तिगत मकसद नहीं था तो एकमात्र मकसद किसी अन्य द्वारा उकसाना हो सकता था, जिसका ऐसा मकसद था। अभियोजन पक्ष के अनुसार एकमात्र व्यक्ति जिसके पास गुरचरण सिंह की हत्या करने के लिए पर्याप्त

उद्देश्य था, वह अपीलकर्ता बख्शीश सिंह था, जो निस्संदेह हत्या के दिन 21 जून, 2003 को पाकिस्तान से दूर था। वास्तव में उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन उसका दूर रहना है इससे अपराध में उसकी संलिप्तता का संदेह पैदा होता है। अभियोजन पक्ष काे यह साबित करना है कि गुरचरण सिंह को खत्म करने और ट्रस्ट को गुरचरण सिंह के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए बख्शीश सिंह ने अपने भाई के बेटे सतबीर सिंह और उसके दोस्त रछपाल सिंह को काम पर लगा लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि "खांडी फ्रेंड्स एजुकेशनल ट्रस्ट" विवाद की जड़ है जो "इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, भद्दल" चलाता है और ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त ट्रस्ट का वार्षिक कारोबार लगभग 20 करोड़ के क्षेत्र में था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, गुरचरण सिंह उक्त ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष थे और ट्रस्ट के 8 ट्रस्टी/सदस्य थे, जिनमें कुलविंदर कौर, पीडब्लू 1, बख्शीश सिंह-आरोपी/अपीलकर्ता और उनकी पत्नी हरदेव कौर शामिल थे। बख्शीश सिंह-आरोपी/अपीलकर्ता, उक्त ट्रस्ट का अध्यक्ष बनना चाहता था और अक्सर कुलविंदर कौर पीडब्लू 1 और उसके पति गुरचरण सिंह (मृतक) को धमकियाँ देता था। कुलविंदर कौर पीडब्लू 1 की बेटी गुनीत कौर भी वर्ष 2002 में उक्त संस्थान में पढ़ रही थी। वर्ष 2002 में उक्त ट्रस्ट के अध्यक्ष पद के लिए एक चुनाव हुआ था, जिसमें गुरचरण सिंह को अध्यक्ष चुना गया था। जबकि अपीलकर्ता बख्शीश सिंह को ट्रस्ट के किसी भी पद के लिए नहीं चुना गया था और इसलिए वह गुरचरण सिंह से नाराज थे।

33. हमने चुनाव की कार्यवाही के रिकॉर्ड का अवलोकन किया है। चुनाव कार्यवाही से पता चलता है कि बख्शीश सिंह ने उक्त कार्यवाही पर इस आधार पर आपत्ति जताई थी कि यह अवैध है। हम उनकी आपत्तियों की सत्यता पर जाने के इच्छुक नहीं हैं। इतना कहना काफी होगा कि बख्शीश सिंह गुरचरण सिंह के विरोधी थे। उक्त ट्रस्ट की अध्यक्षता प्राप्त करना या किसी भी मामले में गुरचरण सिंह को हटाना प्रतिद्वंद्वी को खत्म करने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत मकसद था, खासकर जब आसपास की परिस्थितियों में देखा जाए। इसके अलावा, ऐसा प्रतीत होता है कि एक ओर गुरचरण सिंह (मृतक) और कुलविंदर कौर पीडब्लू 1 और दूसरी ओर बख्शीश सिंह और उनकी पत्नी हरदेव कौर के बीच संबंध पूरी तरह से शत्रुतापूर्ण थे। कुलविंदर कौर पीडब्लू 1 ने कहा है कि बख्शीश सिंह और उनकी पत्नी हरदेव कौर उक्त ट्रस्ट की अध्यक्षता के लिए बैठकों में उन्हें और गुरचरण सिंह (मृतक) को धमकियां देते थे। आरोपी बख्शीश सिंह और उसकी पत्नी हरदेव कौर ने उसकी बेटी, जो उसी संस्थान में पढ़ रही थी, के साथ बलात्कार करने की धमकी दी थी और कहा था कि वे ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उनके रिश्तेदार कट्टर अपराधी हैं। वे यह भी कहते थे कि वे "गुरदासपुरिया" हैं और इस संस्थान की अध्यक्षता पाने के लिए वे प्रतिद्वंद्वी की हत्या भी कर सकते हैं। धमकियों ने कुलविंदर कौर पीडब्लू 1 को अपने पति से अपनी बेटी को उक्त संस्थान से वापस लेने और उसे किसी अन्य संस्थान में स्थानांतरित करने के लिए कहने के लिए मजबूर

किया, ताकि बख्शीश सिंह किसी को कोई नुकसान न पहुंचा सके, लेकिन उसका पति सहमत नहीं हुआ। जिरह में कुलविंदर कौर पीडब्लू 1 से पूछा गया कि क्या उसने पुलिस को बताया था कि हरदेव कौर ने भी उसकी बेटी के साथ बलात्कार करने की धमकी दी थी क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से 'बलात्कार' शब्द का इस्तेमाल किया था, उसने स्पष्ट किया कि उसने स्पष्ट रूप से कहा था पुलिस को दिए बयान में कहा कि बख्शीश सिंह ने उनकी बेटी से दुष्कर्म करने की धमकी दी थी। जहां तक उनके इस बयान का संबंध है कि उन्होंने अपनी बेटी को किसी अन्य संस्थान में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया था और जब उन्हें अपने परीक्षा-प्रमुख में इस तरह के बयान की अनुपस्थिति के बारे में बताया गया, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि यह निहित है कि उन्हें उक्त संस्थान से ले जाने के बाद उसे किसी अन्य संस्थान में दाखिला दिया जाना था। जिरह में हम पाते हैं कि कुलविंदर कौर पीडब्लू 1 की गवाही को खारिज करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि बख्शीश सिंह की उसके पति और उसके खिलाफ उच्च स्तर की दुश्मनी थी, जो विचाराधीन हत्या का कारण बन गई। यह अनुमान इस तथ्य से पुष्ट होता है कि सतबीर सिंह और रछपाल सिंह का गुरचरण सिंह की हत्या के लिए कोई व्यक्तिगत मकसद या दुश्मनी नहीं थी, जैसा कि पहले देखा गया था।माना जाता है कि सतबीर सिंह, बख्शीश सिंह का भतीजा था।

34. यह भी महत्वपूर्ण है कि बख्शीश सिंह ने सुनिश्चित किया था कि भौतिक दिन पर उनकी मोहाली से अनुपस्थिति और यहाँ तक कि

14.06.2003 को पाकिस्तान जाकर भारत से भी उनकी अनुपस्थिति थी और केवल उसी दिन 22.06.2003 को वापस लौटे और इसी बीच सतबीर सिंह और रछपाल सिंह अपराध स्थल के पास योजना की तैयारी में विभिन्न स्थानों पर रहे। इस संबंध में, हमें उच्च न्यायालय के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है कि बख्शीश सिंह का मकसद गुरचरण सिंह को इस घोषणा से हटाना है कि वह मृतक की बेटी गुनीत कौर, जो संस्थान में पढ रही है और वह उस संस्थान का नियंत्रण हासिल कर लेगा जिसमें भारी वित्त शामिल था, के साथ बलात्कार करेगा। मकसद का सटीक कारण, या उस मकसद को प्रेरित करने वाले सटीक कारक को निर्धारित करना संभव नहीं है। जब उच्च स्तर की शत्रुता स्थापित हो जाती है तो मकसद के अस्तित्व को स्थापित माना जा सकता है।

35. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने संपत कुमार (सुप्रा) इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया। विद्वान वकील के अनुसार, यह एक स्थापित कानून है जैसा कि संतोष कुमार सिंह बनाम राज्य (2010) 9 एससीसी 747 और रुकिया बेगम बनाम कर्नाटक राज्य (2011) 4 एससीसी 779 संपत कुमार (सुप्रा) में स्वीकृत है। किसी अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य के अभाव में, अकेले मकसद शायद ही दोषसिद्धि का आधार हो सकता है। अकेले मकसद किसी आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। बख्शीश सिंह की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एचएस फुल्का ने कहा कि अधिक से अधिक अभियोजन पक्ष ने गुरचरण सिंह के खिलाफ

अपनी दुश्मनी की ओर इशारा करते हुए बख्शीश सिंह के कथित मकसद को रिकॉर्ड पर रखा है। हालाँकि, यह उसके खिलाफ हत्या के अपराध का दोष लाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस तर्क को स्वीकार करना संभव नहीं है क्योंकि यह ऐसा मामला नहीं है जहां जो स्थापित किया गया है वह बिना किसी परिस्थितिजन्य साक्ष्य के केवल मकसद है जैसा कि ऊपर उल्लिखित मामलों में है। रिकॉर्ड पर जो लाया गया है वह ऊपर उल्लिखित अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के साथ-साथ बख्शीश सिंह का मकसद है, जो हमारे विचार में अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त है। जैसा कि पहले देखा गया है, सबूत मृतक गुरचरण सिंह के खिलाफ सतबीर सिंह और रछपाल सिंह द्वारा पैदा किए गए किसी भी व्यक्तिगत उद्देश्य के उदाहरणों को प्रदर्शित नहीं करते हैं और उन्होंने गुरचरण सिंह की हत्या करने का एकमात्र कारण यह है कि बख्शीश सिंह ने इस हत्या का मास्टर माइंड किया था।

36. कुलविंदर कौर पीडब्लू 1 और अन्य अभियोजन गवाहों के साक्ष्य को पढ़ने पर हम इसे ठोस, विश्वसनीय और भरोसेमंद पाते हैं। हमें उपरोक्त कथनों पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं मिलता है और परिणामस्वरूप, हमें इन अपीलों में कोई योग्यता नहीं मिलती है, जिन्हें तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।

37. आपराधिक अपील संख्या 1110/2009 में अपीलकर्ता बख्शीश सिंह जमानत पर हैं। उनके जमानत बांड रद्द कर दिए गए हैं। बख्शीश सिंह को सजा की शेष अवधि भुगतने के लिए विद्वान सत्र न्यायाधीश, रूपनगर (पंजाब) के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया है। यदि वह आत्मसमर्पण नहीं करता है, तो ट्रायल कोर्ट को मामले में कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है।

विभूति भूषण बोस

अपीलें खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्रीमती आस्था अग्रवाल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।